

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपनाम

बनाम

सुरेश कुमार

शिवराम आदि

दावा बाबत :- 88 R/A

मुकदमा नम्बर :- 297/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र पन्पार की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील धर्मपाल मेरवाला की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्री श्री जी जे जे के खाता सं० 544/544 के

खसरा सं० 402, 461, 602 कुल 10-2680 हे.कारानी खातदारी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम पर 1/3 हिस्सा व श्री श्री जे जे के खाता सं० 544/544 के खसरा सं० 311, 313 कुल 2-3140 हे.कारानी खातदारी में प्रतिवादी सं० 1 शिवराम के नाम पर 1/3 हिस्सा राजस्व रिमांड में दूजे है में से एक को प्रतिवादी सं० शिवराम के बजाए वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी सं० शिवराम को नदिस्य करार के खातदार करवाने घोषित किया जाते है यकिन प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना समुल्य हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर चुक्य कर लिया है इसलिए त्याग किया गया हिस्से पर पेनालन विभागा को दिये पेनालन मुल्क है व स्थाप्य उभरी अवा करन व यदि हबि मुक्ति में मुक्ति रखे दोनो खसमुक दान व अरान्त हो राजस्व रिमांड में अपनो कराने किया जाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला (हनुमानगढ़)
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प